नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड़, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –......337......../

N-1/

दिनांक 01-04-2015/

श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता तदेन गाड़ी चालक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार सम्प्रति गाड़ी चालक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विरूद्ध कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से सम्बंधित निम्न आरोपों के लिए कार्यालय आदेश संख्या 2840, दिनांक 20.09.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें जाँच पदाधिकारी के रूप में श्री जेड0 एच0 परवेज, विद्युत अधीक्षण अभियंता (भंडार एव क्रय), मुख्यालय, पटना को नियुक्त किया गयाः–

आरोप संख्या 01:– दिनांक 28.07.2003 को मिरचाईबाड़ी से राजस्व समाहरण की राशि लाने के समय श्री गुप्ता ने सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार से कहा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है फिर भी पावर हाउस कार्यालय तक गाड़ी चली जाएगी । दिनांक 28.07.2003 को गाड़ी में मात्र दो से तीन लीटर ही पेट्रोल था, तब ऐसी स्थिति में किस प्रकार गाड़ी को स्टार्ट करके राजस्व समाहरण की राशि लेकर बैंक जा रहे थे।

आरोप संख्या 02:–घटना की तिथि दिनांक 29.07.2003 को जब कैलाश प्रसाद गुप्ता, जीप को चालू करने की स्थिति में थे, उसी समय लुटेरे उसके बगल से कैश का बैग लेकर भागे, पर श्री गुप्ता ने तत्परता से जीप स्टार्ट कर लुटेरे का पीछा नहीं किया, यदि श्री गुप्ता द्वारा लुटेरों का पीछा किया गया होता तो इस बात की संभावना थी की रकम पकड़ी जाती एवं लुटेरे भी पकड़े जाते ।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2012 को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य तथ्य एवं कागजातों की समीक्षा की गई एवं आरोप पत्र में अंकित आरोपों के प्रमाणित होने का आधार अंकित करते हुए संकल्प संख्या 920, दिनांक 08.08.2013 द्वारा द्वितीय

कारण पृच्छा पुछा गया। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 16.12.2013 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री गुप्ता द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा प्रमाणित आरोपों को अंशतः स्वीकार कर लिया गया है । अतः श्री गुप्ता का जवाब असंतोषप्रद पाए जाने एवं आरोपों को अंशतः स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता तदेन गाड़ी चालक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कटिहार सम्प्रति गाड़ी चालक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री गुप्ता का एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोका जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री कैलाश **प्रसाद गुप्ता तदेन गाड़ी चालक सम्प्रति गाड़ी चालक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को अग्रसारित की जाय।**

आदेश से,

1-4-15

(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या ——338——————/ना0बि0पा0डि0कं0लि0,दिनांक ——01-04-2015/

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/ तकनीकी सचिव/ अवर सचिव/ निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, के वरीय निजी सहायक/प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, के आप्त सचिव/प्रबंध निदेश के नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

1-4-15

(राकेश रंजन)

विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या 338 / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 01-04-2015 /

प्रतिलिपिः–निदेशक (परियोजना)/ सभी महाप्रबंधक(मा0सं0प्रशा0)/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक (राजस्व)/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (जनसर्म्पक)/सभी लेखा पदाधिकारी/ लेखा पदाधिकारी (स्थापना) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/ श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता तदेन गाड़ी चालक सम्प्रति गाड़ी चालक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1-4-15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)